कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

संख्या:- 3319 / FP/UK/ROAD/18336/2016 देहरादूनः दिनांकः 🕼 जून, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषयः—जनपद— चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई के अन्तर्गत नरसिंह डॉडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग के सम्ब में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने व हवाई दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में सलंग्न व पार्ट । में आनलाइ अपलोड़ नही किया गय है। अतः प्रस्तावित स्थल जिस समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण के समीवस्थ-समीपस्थ है, को नाम तथा प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का भी उल्लेख करते हुये स्पष्ट प्रमाण–पत्र इ कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक् प्रश्नगत प्रस्ताव पर निम्न कमियों का निराकरण भी किया जाना है।

- 1. As per KML file ends dense forest area and no habitation exist near the area. Number villagers to be benefited is mention as to user agency may submit justification of t requirement the road and show the beneficiary village along with the existing road network KML file.
- 2. Name and designation of the competent authority who has issued the authorization letter favour of Authorized person is not mentioned. [Online para-A-3 (xvii) of Part-I].
- 3. Justification is not authenticated by DFO. upload Justification at para- D (i) in form A, par authenticated by DFO.
- 4. It is seen that the kml file for the area proposed for diversion is not correct. User agency m upload correct file so that the proposal can be examined.
- 5. The certificate of aerial distance of the project area is not found uploaded in Form A, part I.

कृपया तद्नुसार अपने वन प्रभाग के अन्तर्गत अन्य प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार स्पष्ट प्रमाण–पत्र वि

जाये।

पत्रांक

भवदीय, (ए०क0गुप्ता) वन संरक्षक

/ FP/UK/ROAD/18336/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (ए०के० गुप्ता) वन संरक्षक